न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 15 / 2023 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा —प्रार्थी	**बनाम**	1. देवी , भैरू, रूपा पिता रामा ओड निवासी बहादुर जी का खेडा तहसील बिजौलिया —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बहादुर जी का खेडा की आ.न. 183 / 119 रकबा 0.0486 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी में कुल 10 गैर खातेदार के नाम अंकित है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र 03 पक्षकार के नाम ही संयोजित किये गये हैं और तदनुसार ही सम्मन नोटिस संलग्न किये गये। जबकि विधि अनुसार आवंटी या आवंटी के सभी जायन्दा वारिसानों को पक्षकार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बनाया जाकर उनकी विधिवत तामील करवायी जाकर प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना होता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सभी पक्षकारानों के सम्मन नोटिस पेश नही करने पर, नोटिस जारी नही किये जा सके है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र विधिनुसार पूर्णरूपेण प्रस्तुत नही किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) अपूर्ण होने से खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलिया प्रकरण में सभी पक्षकारान की जांच कर, पूर्ण दस्तावेज व सम्मन नोटिस सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा